

**राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग**

क्रमांक :- एफ 1 (2) परि/स्था/2015

जयपुर, दिनांक :-

कार्यालय आदेश

परिवहन विभाग (मुख्यालय, अधीनस्थ प्रादेशिक एवं जिला परिवहन कार्यालयों) को प्रवर्तन एवं सामान्य कार्यों के संचालन हेतु कॉलम संख्या 8 में वर्णित संख्या तक सुरक्षा गार्ड राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कारपोरेशन (RExCo) के माध्यम से संविदा पर अथवा RExCo से, पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नहीं होने पर में होम गार्ड की सेवाएं निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये दिनांक 01.03.2019 से दिनांक 29.02.2020 तक लेने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं	कार्यालय का नाम	उड़नदस्तों की संख्या	उड़नदस्तों हेतु सुरक्षा गार्ड	कार्यालय हेतु सुरक्षागार्ड	कुल सुरक्षा गार्डों की संख्या	पहले से स्वीकृत पद	वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग से स्वीकृत सुरक्षा गार्ड
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रा.प.का. जयपुर / अति. प्रा.प. का. जगतपुरा / जिलापरिवहन कार्यालय विधाधर नगर	32	64	33+2 (33 सुरक्षा गार्ड + 2 सहायक सुरक्षा अधिकारी)	97+2 (97 सुरक्षा गार्ड + 2 सहायक सुरक्षा अधिकारी)	02	95+2 (95 सुरक्षा गार्ड + 2 सहायक सुरक्षा अधिकारी)
2.	जि.प.का. दूदू (जयपुर)	3	6	6	12	—	12
3.	जि.प.का. कोटपुतली	3	06	04	10	—	10
4.	जि.प.का. शाहपुरा (जयपुर)	3	6	6	12	—	12
5.	जि.प.का. चौमूं	3	6	6	12	—	12
6.	प्रा.प.का. दौसा	5	10	10	20	—	20
7.	जि.प.का. सवाई माधोपुर	2	04	06	10	—	10
8.	उ.प.का. गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर)	—	—	04	04	—	04
9.	जि.प.का. करौली	3	06	06	12	—	12
10.	उ.प.का. हिण्डोन सिटी (करौली)	—	—	04	04	—	04
11.	प्रा.प.का. सीकर	6	12	10	22	—	22
12.	उ.प.का. सींगस (सीकर)	—	—	04	04	—	04
13.	उ.प.का. नीम का थाना	—	—	04	04	—	04

H:/estt/guard order

	(सीकर)						
14.	जि.प.का. झुन्डुन	5	10	06	16		16
15.	उ.प.का. फतेहपुर			3	3		03
16.	जि.प.का. खेतडी (झुन्डुन)	2	4	02	06		06
17.	जि.प.का. चूरु	3	06	06	12		12
18.	जि.प.का. सुजानगढ	3	6	6	12		12
19.	उ.प.का. राजगढ (चूरु)	—	—	04	04		04
20.	प्रा.प.का. अलवर	6	12	10	22	3	19
21.	उ.प.का. बहरोड (अलवर)	—	—	04	04		04
22.	जि.प.का. शाहजहापुर (25 सुरक्षा गार्ड एवं 1 गनमैन गार्ड)	3	06	20	26	07	19
23.	जि.प.का. भिवाडी	3	6	6	12		12
24.	प्रा.प.का. भरतपुर	6	12	12	24	01	23
25.	उ.प.का. डीग (भरतपुर)	—	—	04	04		04
26.	जि.प.का. धौलपुर	5	10	06	16		16
27.	प्रा.प.का. अजमेर	6	12	12	24		24
28.	जि.प.का. केकडी (अजमेर)	3	6	6	12		12
29.	जि.प.का. ब्यावर	2	04	06	10		10
30.	जि.प.का. किशनगढ	3	6	6	12		12
31.	जि.प.का. नागौर	2	04	06	10		10
32.	उ.प.का. नावा (नागौर)	—	—	04	04		04
33.	उ.प.का. मकराना (नागौर)	—	—	04	04		04
34.	उ.प.का. मेड़ला (नागौर)	—	—	04	04		04
35.	जि.प.का. डोडपाना	3	06	06	12		12
36.	जि.प.का. टोंक	2	04	06	10		10
37.	उ.प.का. देवली	—	—	04	04		04
38.	प्रा.प.का. जोधपुर	8	16	20	36		36
39.	उ.प.का. पिपाड़ शिली (जोधपुर)	—	—	04	04		04

40.	जि.प.का. फलोदी	3	6	6	12		12
41.	जि.प.का. वाडमेर	2	04	06	10		12
42.	जि.प.का. बालोतरा	3	6	6	12		10
43.	जि.प.का. जैसलमेर	1	02	06	08		12
44.	उ.प.का. पोकरण (जैसलमेर)	—	—	04	04		08
45.	प्रा.प.का. पाली	5	10	10	20		04
46.	उ.प.का. सुमरपुर (पाली)	—	—	04	04		20
47.	उ.प.का. सोजत (पाली)	—	—	04	04		04
48.	जि.प.का. सिरौडी	5	10	06	16		04
49.	जि.प.का. आबूरोड़	3	6	6	12		16
50.	जि.प.का. जालौर	2	04	06	10		12
51.	जि.प.का. मीनमाल (जालौर)	3	6	6	12		10
52.	उ.प.का. सांचौर (जालौर)	—	—	04	04		12
53.	प्रा.प.का. उदयपुर	7	14	12	26		04
54.	उ.प.का. सलूमर (उदयपुर)	—	—	04	04		26
55.	जि.प.का. राजसमंद	3	06	06	12		04
56.	उ.प.का. रेलमगरा	—	—	04	04		12
57.	उ.प.का. भीम (राजसमंद)	—	—	04	04		04
58.	जि.प.का. डूंगरपुर	2	04	06	10		04
59.	जि.प.का. स्तनपुर (कर संग्रह केन्द्र)	3	06	06	12	3	10
60.	जि.प.का. बांसवाडा	2	04	06	10	1	09
61.	प्रा.प.का. वित्तौडगढ़	6	12	10	22	1	09
62.	जि.प.का. भीलवाडा	4	08	06	14		21
63.	जि.प.का. शाहपुरा (भीलवाडा)	3	06	06	12		14
64.	जि.प.का. प्रतापगढ़	1	02	06	08		12
65.	प्रा.प.का. कोटा	5	10	12	22		08
66.	जि.प.का. रामगजमण्डी	1	02	06	08		21
67.	जि.प.का. बून्दी	2	04	06	10		08
68.	जि.प.का. बांरा	2	04	06	10		10

H:/estt/guard order

69.	जि.प.का. झालावाड	3	06	06	12	—	12
70.	उ.प.का. भवानीमण्डी	—	—	04	04	—	04
71.	प्रा.प.का. बीकानेर	4	08	12	20	01	19
72.	उ.प.का. लूणकरणसर	—	—	04	04	—	04
73.	जि.प.का. नौखा (बीकानेर)	3	06	06	12	—	12
74.	जि.प.का. श्रीगंगानगर	5	10	06	16	01	15
75.	उ.प.का. सुरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	—	—	04	04	—	04
76.	जि.प.का. हनुमानगढ़	4	08	06	14	—	14
77.	जि.प.का. नोहर (हनुमानगढ़)	3	06	06	12	—	12
77.	प्रवर्तन विंग (उड़नदस्ते) जयपुर	12	24	—	24	—	24
78.	प्रवर्तन विंग (उड़नदस्ते) भरतपुर	06	12	—	12	—	12
79.	प्रवर्तन विंग (उड़नदस्ते) अजमेर	06	12	—	12	—	12
80.	प्रवर्तन विंग (उड़नदस्ते) जोधपुर	06	12	—	12	—	12
81.	प्रवर्तन विंग (उड़नदस्ते) कोटा	06	12	—	12	—	12
82.	प्रवर्तन विंग (उड़नदस्ते) बीकानेर	06	12	—	12	—	12
83.	प्रवर्तन विंग (उड़नदस्ते) उदयपुर	06	12	—	12	—	12
84.	मुख्यालय	(केन्द्रीय उड़नदस्ते)		(9+1) (9 सुरक्षा गार्ड + 1 सुरक्षा अधिकारी)	(19+1) (19 सुरक्षा गार्ड + 1 सुरक्षा अधिकारी)		(19+1) (19 सुरक्षा गार्ड + 1 सुरक्षा अधिकारी)
	योग	05	10	10	20	—	20
		266	532	530	1062	21	1041

उपरोक्तानुसार सुरक्षा गार्ड रखे जाने के लिये निम्नांकित निर्देश भी दिये जाते हैं :-

1. RExCo के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को ही सुरक्षा गार्ड के रूप में रखा जाए एवं उनका सेवा क्रमांक (Army Service No., Airforce Service No., Navy Service No.) सेवा रिकॉर्ड, परिचय पत्र आदि का समुचित रिकार्ड रखा जाये।
2. उक्तानुसार रखे गये सुरक्षा गार्डों को यथा उपलब्धता 6 माह की अवधि से ज्यादा नहीं रखा जाए एवं हर 6 माह में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इसका स्थान बदला जाए।

H:/estt/guard order

3. कार्यालयों हेतु सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था उपरोक्त तालिका अनुसार की जाए। प्रत्येक उड़नदस्ते के लिये 2 गार्ड होंगे। यदि कहीं उड़नदस्ता किसी कारणवश नहीं है तो वहां के लिये आवंटन तदनुसार कम माना जाएगा।
 4. सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सम्बंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी का होगा तथा वे विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
 5. पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नियत दरों पर किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि विभाग पर किसी प्रकार का स्थायी दायित्व नहीं बने तथा राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियम तथा स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो।
 6. मुख्यालय पर कार्यालय सुरक्षा एवं केन्द्रीय उड़नदस्ते हेतु आवंटित गार्ड की संविदा सेवाओं पर व्यय आयोजना भिन्न मद के लेखाशीर्ष 2041-00-001-(04)-[01]-41 में उपलब्ध प्रावधान से भारित होगा।
 7. प्रादेशिक/जिला/उप जिला परिवहन कार्यालय की सुरक्षा हेतु आवंटित गार्ड की संविदा सेवाओं पर व्यय आयोजना भिन्न मद के लेखाशीर्ष 2041-00-101-(04)-[01]-41 में उपलब्ध प्रावधान से भारित होगा।
 8. प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय/प्रवर्तन शाखा को उड़नदस्ते हेतु आवंटित गार्ड की संविदा सेवाओं पर व्यय आयोजना भिन्न मद के लेखाशीर्ष 2041-00-102-(02)-[00]-41 में उपलब्ध प्रावधान से भारित होगा।
- उक्त आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. क्रमांक 161900238 दिनांक 26.02.2019 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

—sd—
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

क्रमांक :- एफ.1 (2) परि/स्था/2015/3960-66

जयपुर, दिनांक 7/3/19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, परिवहन मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।
4. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी स्वीकृत संख्या तक आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड REXCo के माध्यम से लें।
5. लेखा एवं भुगतान/स्थापना शाखा, मुख्यालय जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक राजस्थान एक्स सर्विसमैन कारपोरेशन लिमिटेड, रूम न. 7222, फूड बिल्डींग, द्वितीय तल, शासन सचिवालय, जयपुर/पी.8, सांझी छत, सेक्टर-2, विधाधर नगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार मुख्यालय एवं संबंधित कार्यालयों को संविदा आधार पर सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाने का श्रम करें (ईमेल :- rexcojaipur@gmail.com FAX NO :- 2232064)।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

✓ 8. सिस्टम रखाविल्ट

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)